

**भारत सरकार**  
**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1916**  
दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

**महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी**

**1916. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए सक्षम आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी-सह-क्रेच और सखी निवास छात्रावास की स्थापना की है;
- (ख) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र राज्य में विशेषकर नागपुर के ग्रामीण जिलों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) तीन प्रमुख योजनाओं – मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान नागपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त योजनाओं के तहत कितनी धनराशि खर्च की गई है;
- (घ) रामटेक लोक सभा निवार्चन क्षेत्र में तहसील/तालुका-वार आंगनवाड़ी केंद्रों और उनमें पंजीकृत बच्चों की संख्या कितनी है;
- (ड.) विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में छह वर्ष तक के बच्चों की ऊँचाई और वजन माप सहित इस विषय पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और
- (च) खून की कमी से पीड़ित लोगों, स्वस्थ मां और बच्चों के लिए पारंपरिक पौष्टिक भोजन के साथ-साथ महिलाओं के प्रति संवेदनशील जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**  
**महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री**  
**(श्रीमती सावित्री ठाकुर)**

(क) और (ख) : नागपुर के ग्रामीण जिलों सहित महाराष्ट्र राज्य में स्थापित सक्षम आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी-सह-क्रेच और सखी निवास का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं		अनुमोदित/क्रियाशील इकाइयों की संख्या
1.	सक्षम आंगनवाड़ी	14745

2.	आंगनवाड़ी-सह-क्रेच	345
3.	सखी निवास	73

(ग): बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने और बच्चों के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित सभी योजनाओं को तीन व्यापक मिशनों में शामिल किया गया है अर्थात् (1) देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; और (3) कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों की सुरक्षा, देखरेख तथा कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य। इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:

(i) **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (पोषण 2.0):** इस कार्यक्रम के तहत, आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक उप-घटकों में अवसंरचना में पुनर्गठित किया गया है (i) पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता, (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी।

(ii) **मिशन शक्ति:** मिशन शक्ति में दो उप-घटक अर्थात् महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए 'संबल' और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए 'सामर्थ्य' शामिल हैं। वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) को संबल उप-घटक का हिस्सा बनाया गया है; जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), उज्ज्वला, स्वाधार गृह (शक्ति सदन के रूप में पुनर्नामित) और कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास के रूप में पुनर्नामित) और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय हब (एनएचईडब्ल्यू) राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम (पालना के रूप में पुनर्नामित) की मौजूदा स्कीमों को 'सामर्थ्य' में शामिल किया गया है।

(iii) **मिशन वात्सल्य :** (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सहायता करने और उनका पोषण करने (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करने (iii) नवोन्वेषी समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं हेतु अवसर प्रदान करने (iv) यदि आवश्यक हो तो अंतराल वित्तपोषण द्वारा अभिसरण कार्रवाई पृष्ठ करने इत्यादि उद्देश्यों के साथ मिशन मोड में देखरेख और जरूरतमंद बच्चों के लिए बेहतर पहुंच तथा सुरक्षा हेतु एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) को मिशन वात्सल्य का नया नाम दिया गया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान नागपुर जिले सहित महाराष्ट्र राज्य को उपरोक्त योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों का विवरण अनुलग्न में संलग्न है।

(घ): पोषण ट्रैकर के अनुसार, नागपुर जिले में कुल 3404 आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील हैं और 6 वर्ष तक की आयु के 8794 बच्चे पंजीकृत हैं, जिसके अंतर्गत रामटेक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र आता है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत निर्वाचन क्षेत्रवार डेटा नहीं रखा जाता है।

(ड.)और (च): चूंकि कुपोषण के लिए भोजन, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता और शिक्षा के आयामों को शामिल करते हुए बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, इसलिए कुपोषण के मुद्दे का प्रभावी ढंग से समाधान करना महत्वपूर्ण है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 18 मंत्रालयों/विभागों

के बीच क्रॉस कटिंग अभिसरण स्थापित करके कुपोषण की चुनौतियों का समाधान किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं –

(i) सामुदायिक जुड़ाव, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और एडवोकेसी जैसी क्रियाकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने और बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा के लिए नई कार्यनीति बनाई गई है। यह मातृत्व पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार मानदंडों, गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/ मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के उपचार और आयुष प्रथाओं के माध्यम से कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि बच्चों में कुपोषण, ठिगनापन, एनीमिया और कम वजन की व्यापकता को कम किया जा सके।

(ii) जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर कुपोषण के अंतर-पीढ़ीगत अवधि का उन्मूलन करने के लिए बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची-॥ में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को पिछले वर्ष संशोधित और उन्नत किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे; हालाँकि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों के आधार पर पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में अधिक व्यापक और संतुलित हैं जो गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

(iii) सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने तथा महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन तथा टेक होम राशन तैयार करने के लिए मिलेट(श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

(iv) महिला एवं बाल विकास तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम तथा उपचार करने तथा इससे संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

(v) लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं पर शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन की ओर आगे बढ़ाने के लिए शुरू की गई प्रमुख क्रियाकलापों में से एक सामुदायिक जुड़ाव और जागरूकता एडवोकेसी है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़ा के दौरान सामुदायिक जुड़ाव कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से संवेदीकरण क्रियाकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सामुदायिक आधारित कार्यक्रम (सीबीई) पोषण संबंधी प्रथाओं को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति के रूप में काम कर रहे हैं और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने दो सामुदायिक आधारित कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है।

(vi) कुपोषित बच्चों की पहचान करने और समय पर पहल करने के लिए विकास मापदंडों की नियमित निगरानी आवश्यक है। आंगनवाड़ी केंद्रों को शिशु मीटर, स्टेडियोमीटर, शिशु वजन मापने वाला

पैमाना, माता और बच्चे का वजन मापने वाला पैमाना जैसे विकास निगरानी उपकरणों से सुसज्जित किया गया है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्नक

महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी' के संबंध मेंश्री श्यामकुमार दौलत बर्वे द्वारा दिनांक 06.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1916 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के तहत महाराष्ट्र राज्य को जारी की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं	मिशन	स्कीम	जारी की गई निधि				
			वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
1.	मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0	आंगनवाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना	1669.40	1205.99	1713.39	1646.17	1699.52
2.	मिशन वात्सल्य (पूर्ववर्ती एकीकृत बाल संरक्षण योजना)		24.50	34.33	54.67	71.33	95.38
3.	मिशन शक्ति – संबल	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	2.94	2.56	1.23	0.00	0.00
		वन स्टॉप सेंटर	6.70	6.46	5.61	0.69	15.40
		महिला हेल्प लाइन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	मिशन शक्ति – सामर्थ्य	शक्ति सदन (एकीकृत स्वधार गृह और उज्ज्वला)	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
		सखी निवास (एकीकृत कामकाजी महिला छात्रावास)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	294.14	113.11	99.5	240.83	0.00
		पालना	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32

\*\*\*\*\*